दिनांक 05.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 08/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एसटीएफः विलासपुर (छतीसगढ़) में हुए चर्चित संजीव त्रिपाठी हत्याकाण्ड में लगभग 03 वर्षों से फरार अभियुक्त विनय कुमार द्विवेदी उर्फ बासू उर्फ गुरूजी गिरफ्तार।

दिनांक 04–07–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 बिलासपुर (छ0ग0) में हुए चर्चित संजीव त्रिपाठी हत्याकाण्ड में थाना सकरी में पंजीकृत मु0अ0सं0 641/2022 धारा 302/34 भादवि व 26/27 आर्म्स एक्ट में लगभग 03 वर्षों से फरार चल रहे शातिर अपराधी विनय कुमार द्विवेदी उर्फ बासू उर्फ गुरूजी को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

विनय कुमार द्विवेदी उर्फ बासू उर्फ गुरूजी पुत्र पवन कुमार द्विवेदी नि0 ग्राम चमरौहा पोस्ट ऊँचडीह थाना मनिकपुर जनपद चित्रकूट उ0प्र0।

बरामदगीः

1– 01 अदद तमंचा 315 बोर।

2– 02 अदद कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः

जनपद वाराणसी के थाना बडागांव क्षेत्रान्तर्गत फत्तेपुर तिराहा, दिनांक 04–07–2025 समय 21.05 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस

उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी के पर्यवेक्षण में उ0नि0 श्री अंगद यादव, उ0नि0 श्री शाहजादा खां व उ0नि0 श्री विनय मौर्या एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी द्वारा टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन हेतु एसटीएफ वाराणसी की टीम थाना बडागांव क्षेत्र वाराणसी में भ्रमणशील थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि विलासपुर छतीसगढ़ में हुए चर्चित संजीव त्रिपाठी हत्याकाण्ड में फरार चल रहे अभियुक्त विनय कुमार द्विवेदी उर्फ बासू उर्फ गुरूजी के थाना क्षेत्र बड़ागांव, वाराणसी में होने की सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा फत्तेहपुर तिराहा से वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथी एजाज उर्फ सोनू जिस पर जनपद प्रतापगढ़ से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित है, के बुलाने पर वाराणसी आया था। वर्ष 2022 में इसने अपने साथी एजाज उर्फ सोनू, दानिश अंसारी, पप्पू दाढ़ी, प्रसून गुप्ता आदि साथियों के साथ मिलकर थाना सकरी विलासपुर छतीसगढ़ में संजीव त्रिपाठी की हत्या किया था। मृतक संजीव त्रिपाठी के भाई कपिल त्रिपाठी द्वारा आपसी रंजिश को लेकर संजीव त्रिपाठी के हत्या की सुपारी दी गयी थी। पूछताछ में यह भी बताया कि वर्ष 2019 में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बी0एच0यू0 के छात्र गौरव सिंह की भी आपसी रंजिश में हत्या किया था। इस घटना में वह वाराणसी जेल में निरूद्ध रहा। इसी दौरान सोनू उर्फ एजाज के भाई से इसका सम्पर्क हो गया और जेल से छूटने के बाद सोनू उर्फ एजाज तथा अन्य अपराधियों के सम्पर्क में आकर अपराध करने लगा।

<u>विनय कुमार द्विवेदी का आपराधिक इतिहासः–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	904/18	147/148/323/504 भादवि	लंका	वाराणसी
2.	106/18	147/336/353/427 भादवि	लंका	वाराणसी
3.	261/19	147/307/323/504/506 भादवि	लंका	वाराणसी

4.	376/19	286/323/392/411/504/506 भादवि	लंका	वाराणसी
5.	429/19	302/34/147/148/149/120बी भादवि	लंका	वाराणसी
6.	901/19	3(1) उ0प्र0 गैगस्टर एक्ट	लंका	वाराणसी
7.	437/21	3/25 आर्म्स एक्ट	लंका	वाराणसी
8.	441/21	3/25 आर्म्स एक्ट	लंका	वाराणसी
9.	641/22	302/34 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट	सकरी	विलासपुर(छ0ग0)
10.	119/23	8/20 एनडीपीएस एक्ट	एक्सप्रेस वे	गौतमबुद्धनगर

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी में मु0अ0सं0 301/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सकरी, जनपद बिलासपुर (छ0ग0) को भी अवगत कराया गया है।

एसटीएफः सेवानिवृत्त वैज्ञानिक को सीबीआई आफिसर बनकर डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 01.29 करोड़ रूपये की ठगी करने वाले गैंग के 04 सदस्य जनपद लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांकः 05—07—2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को सेवानिवृत्त वैज्ञानिक को सीबीआई आफिसर बनकर डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 01.29 करोड़ रूपये की ठगी करने वाले गैंग के 04 सदस्यों को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— श्याम कुमार पुत्र राकेश कुमार, निवासी मोहल्ला नारायन हेमपुरवा, थाना कोतवाली जनपद सीतापुर। हालपता—रूपपुर थाना मदेयगंज जनपद लखनऊ।

2— रजनीश द्विवेदी पुत्र रामाधार दुबे, निवासी ग्राम खाजेगांव पोस्ट मसकनवा थाना चपिया जनपद गोण्डा।

3– सुधीर कुमार चौरसिया पुत्र रामधीरज जायसवाल निवासी देवरिया मडडो थाना कोडारे जनपद गोण्डा। हालपता– अयोध्यापुरी कॉलोनी लालबाग थाना पारा जनपद लखनऊ।

4– महेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ चन्दन सिंह पुत्र हरगोविन्द सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट किठौरा थाना कोतवाली जनपद बलरामपुर। हालपता– गंगोत्री विहार फेस–2 लालकोठी खरगापुर थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।

बरामदगी–

1– 06 अदद मोबाइल फोन।

2– 06 अदद एटीएफ कार्ड।

2– 04 अदद चेकबुक।

उल्लेखनीय है कि भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक श्री शुकदेव नन्दी के मोबाइल पर किसी अज्ञात नम्बर से वॉटसएप काल आया। जिस पर बैंगलुरू सिटी पुलिस का लोगो लगा हुआ था। कालर द्वारा बताया गया कि आपके आधार कार्ड का प्रयोग कर सिम एक्टिवेट करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जॉब फ्रॉड किया गया है, जिसका अवैध पैसा आपके खाते में आया है। कालर द्वारा उनको सीबीआई ऑफिसर दयानायक से बात करने हेतु मोबाइल नम्बर देते हुए उनसे बात करने के लिए कहा गया। जिस पर श्री शुकदेश नन्दी द्वारा उक्त मोबाइल नम्बर पर बात किया गया तो कथित दयानायक द्वारा अपनी बातो से डराकर इनको 03 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके अलग–अलग खातों में लगभग 1.29 करोड़ रूपये ट्रान्सफर करा लिया गया और यह बताया गया कि सीबीआई के आडिट टीम द्वारा आपके खाते की जॉच की जायेगी। कुछ समय पश्चात जब श्री शुकदेव नन्दी को इस बात का एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी की घटना हुई है तब उनके द्वारा दिनांक 26–06–2025 को थाना साइबर क्राइम, जनपद बरेली में मु0अ0सं0 16/2025 धारा 318(4), 319(2), 308(6), 61(2) व 111 बी0एन0एस0 व 66डी आई0एक्ट0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग की विवेचना साइबर थाना बरेली द्वारा की जा रही थी। वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ उ0प्र0 से आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम

में श्री लालप्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एवं श्री सुधांशु शेखर पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे टीम गठित द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में तकनीकी विशेषज्ञता एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि स्वयं को पुलिस अधिकारी/सी0बी0आई0 अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य गोमतीनगर स्थित ग्वारी गांव के निकट गोमती नगर विस्तार जाने वाले फ्लाई ओवर के पास किसी का इन्तजार कर रहे है। इस सूचना पर नि0 श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में नि0 आदित्य कुमार सिंह, मु0आ0 सुनील कुमार सिंह, प्रभाकर पाण्डेय, गौरव सिंह, अखिलेश कुमार, शेरबहादुर की एक टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅच कर 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार सुधीर कुमार चौरसिया ने पूछताछ में बताया कि 4 माह पहले वाराणसी में अंकित नाम के व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई। जिसने मुझे दीपक नाम के व्यक्ति का नम्बर दिया और बताया कि यह कम्पनी चलाता है और कम्पनी का पैसा बैंक खातो में भिजवाकर कमीशन देता है। इस बात पर मेरी दीपक से बात होने लगी। दीपक ने अकाउन्ट उपलब्ध कराने एवं उसके बदले कमीशन देने को कहा। लालच में आकर मैंने श्याम कुमार, रजनीष एवं महेन्द्र के साथ मिलकर बैंक खातों का प्रबन्ध करता था और उनका बैंक खाता संख्या प्राप्त कर दीपक को टेलीग्राम एप के माध्यम से भेजता था। मेरे द्वारा दिये गये बैंक खातों में जो पैसा आता था उसे लेने के लिए दीपक ने फैज निवासी लखनऊ को भेजता था। अब तक मैने लगभग 1.5 करोड़ रुपये निकालकर फैज को दिया है। फैज उसके बदले USDT दीपक के Trust Wallet में भेजता है। फैज के साथ सिराज अली और गुफरान निवासी लखनऊ काम करते है।

अभियुक्तों द्वारा बताये गये बैंक खाते, वालेट आदि की जानकारी व गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जायेगा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना साइबर क्राइम, जनपद बरेली में मु0अ0सं0 16/2025 धारा 318(4), 319(2), 308(6), 61(2) व 111 बी0एन0एस0 व 66डी आई0एक्ट0 में दाखिल किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना चकेरी

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **02 लाख 61 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 04.07.2025 को थाना चकेरी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 06 अभियुक्तों 1–हरिओम 2–हिमांशु 3–रोहन उर्फ छोटू 4–रोहित 5–संजय 6–निमिष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, 02 लाख 61 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना चकेरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चकेरी अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशु के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर, जनपद कानपुर देहात के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त रोहन उर्फ छोटू के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चकेरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हरिओम निवासी सिचाई विभाग कालोनी थाना कैण्ट, कानपुर नगर मूलपता–कस्बा व थाना एरवां कटरा, जनपद औरैया।

2–हिमांशु निवासी कर्रही रोड बर्रा, कानपुर नगर मूलनिवास रानगर घुघवा थाना घाटमपुर, कानपुर नगर।

3–रोहन उर्फ छोटू निवासी कर्रही थाना बर्रा, कानपुर नगर मूल निवासी ग्राम बिलगवां कुआंखेड़ा थाना सजेती, कानपुर नगर।

4–रोहित निवासी ग्राम कोकापुर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।

5–संजय निवासी गांधीनगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

6–निमिष निवासी खासबाजार शिवाला थाना कोतवाली कानपुर नगर।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–02 लाख 61 हजार रूपये नगद।

जनपद मथुरा/थाना गोर्वधन

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली–धातु के आभूषण**
- **60 हजार रूपय नगद**
- **04 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 05.07.2025 को थाना गोर्वधन व स्वाट टीम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महमूद चौराहा के पास से 03 अभियुक्तों 1–योगेन्द्र उर्फ ओपी 2–दिनेश 3–तेजपाल उर्फ तेजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली–धातु के आभूषण, 60 हजार रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना गोर्वधन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गोर्वधन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ ओपी के विरूद्ध जनपद मथुरा, अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग, अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध जनपद मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गोर्वधन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–योगेन्द्र उर्फ ओपी निवासी नारायण रसूलपुर नगला बन्जारा थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।

2–दिनेश निवासी खलौर थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

3–तेजपाल उर्फ तेजा निवासी कैलाशपुर निकट सेक्टर–15 थाना सेक्टर–07 सोनीपत, हरियाणा।

बरामदगी

1–चोरी के पीली–धातु के आभूषण।

2–60 हजार रूपये नगद।

3–04 मोबाइल फोन।

4–01 मोटर साइकिल।

5–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि।

<u>जनपद शाहजहॉपुर/थाना बण्डा</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख 15 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 48 ग्राम अवैध अफीम**
- **2890/–रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 05.07.2025 को थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खुटार रोड से 02 अभियुक्तों 1–शमसाद 2–राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख 15 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 48 ग्राम अवैध अफीम, 2890/–रूपये नगद बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बण्डा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शमसाद निवासी मोहल्ला महादेव थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

2–राजू निवासी नगरिया विक्रम थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 03 लाख 15 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 48 ग्राम अवैध अफीम।

2–2890/–रूपये नगद।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना जसराना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना जसराना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 396 भादवि के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों 1–सुरेश 2–वीरेन्द्र 3–जुग्गा उर्फ जोगेन्द्र 4–मटरू को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कमलेश को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

\------